संख्या:04/2025/35ई-2/तेरह-2025-400005

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 07 जनवरी, 2025

विषयः- मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमौली डिवीजन फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स असमौली की अधिष्ठापित क्षमता 875 लाख लीटर वार्षिक (बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन की दशा में 1093.75 लाख लीटर वार्षिक) के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 100 लाख ब.ली. वार्षिक को बढ़ाकर 200 लाख ब.ली. वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-103/दो-प्रा.डी.-92/DBOL, दिनांक 19-12-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 31-12-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:34ई-2/तेरह-2025-400005, दिनांक 07-01-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19-12-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आयोगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमौली डिवीजन बायो फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स, जनपद सम्भल को सी-हैवी शीरे पर स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 875 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 100 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 200 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन), नियमावली, 2019 एवं (आसवनी की स्थापना) (सोलहवां संशोधन), नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तों तथा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन की दशा में शासनादेश संख्या:33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों एवं नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के पास शीरा संचय की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

(3) आसवनी द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(4) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्या:04/2025/35(1)ई-2/तेरह-2025-400005,तद्दिनांक:-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।